...*(Interruptions)*... That matter is over now.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not laid.

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम वह ले हो गयी है?

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभापति: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए। जो हाउस के प्रोसीजर के बारे में कल आप लोगों ने सदन में एक विषय के ऊपर कहा कि हम खुद अपने हाउस में प्रोसीजर पर नहीं चलेंगे तो उसका गलत नतीजा होगा। मैं अब आपको परमीशन देती हूं, कायदे-कानून के लिहाज से ही दे सकती हूं। उसमें मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर ऐसे टेबिल पर कोई चीज ले करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है। अगर आप को नहीं मालूम है तो आप किताब पढ़ लीजिए। ....(व्यवधान) आप खामोश रहिए। सेक्रेटेरियट आप को मदद करने के लिए तैयार है। मैं स्वयं उस का कानून आप को बताऊंगी इस हाउस में बहुत से पेपर्स टेबिल पर प्रायवेट मेंबर्स ने रखे हैं, मगर एक प्रोसीजर के तहत रखे हैं आपको आपत्ति है तो आप उस आपत्ति के लिए चैयरमैन से या वह नहीं हों तो मुझ से रुजू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर यह जो तरीका अपनाना होता है, इन्हीं बातों से इस सदन की गरिमा का स्तर गिरता है। उसके स्तर को गिराने में हम लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं। कल ही हम ने कहा कि हम इस स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। आप इस हाउस में आते हैं, अपनी बात कहने के लिए, आप जरूर कहिए। कोई मना नहीं करता। मगर उन्हें कानूनों के तहत कहिए, उसे कायदे के तहत कहिए।

श्री राजनाथ सिंह: मैंने लिखित रूप से आप से अनुरोध किया था। मैडम, मैंने लिखित रूप से अनुरोध किया था ....(व्यवधान)

उपसभापति: नहीं, आपने मुझे कोई लिखित रूप में नहीं दिया।

You have not given me. Just you writing a letter to me does not amount to my permission. Please read the rule. The rule is that you ask for permission - I will ask you to let me read it out — if I am satisfied before you lay, then only I or the Chairman will permit ... *(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: You are perfectly right. ...*(Interruptions)*... He has to show the document to the Chair. ... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: But, he cannot lay it on the Table of the House. ...*(Interruptions)*... That matter is closed now.

MOTION FOR ELECTION TO THE MCOURT OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): Madam, I beg to move the following Motion:

> "That in pursuance of item (xxiv) of clause (1) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University, made under the Aligarh Muslim University Act, 1920, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, two members from among the Members of the House, to be the Members of the Court of the Aligarh Muslim University."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Calling Attention.

...मंत्रीजी, आज आप को जवाब देना पड़ेगा, पहले आप जवाब मांगते थे।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—problems of cotton growers in the Country

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (KERALA): Madam, I call the attention of the Minister of Agriculture to the problems of cotton growers in the country.